बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

संकल्प

सं0–प्र० / ऊर्जा / ब्रेडा–01 / 2026– 02 / पटना, दिनांक– 14.07.2026

विषयः– **जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक राज्य के सरकारी / सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का Renewable Energy Services Company (RESCO) मोड में अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं संबंधित विभागों द्वारा RESCO डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु Power Purchase Agreement (PPA) किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

राज्य में बड़े सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन हेतु उपयुक्त बंजर भूमि के कमी को देखते हुए सरकारी भवनों के परिसरों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन कर सौर ऊर्जा का उत्पादन एवं उपयोग करना एक बेहतर साधन है। सरकारी भवनों के परिसर में अधिष्ठापित ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट के द्वारा उत्पादित ऊर्जा सरकारी भवनों के द्वारा उपयोग की जा सकेगी। साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा को वापस ग्रिड में भी भेजा जा सकता है। यह विद्युत वितरण कंपनियों के RPO (Renewable Purchase Obligation) को पूर्ण करने में भी सहायक होगी। वर्तमान में नवीकरणीय क्रय दायित्व 33.01 प्रतिशत है, जो भविष्य में और बढ़ने की संभावना है।

2. वर्तमान में ब्रेडा द्वारा मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना एवं जल–जीवन–हरियाली अंतर्गत राज्य के कुल 12000 से अधिक सरकारी भवनों पर लगभग 115 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन Capex Mode में 5 वर्षों के रख–रखाव सहित कराया गया है।

3. जल–जीवन–हरियाली अभियान के विस्तारित अवधि वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक राज्य के सरकारी / सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन Renewable Energy Services Company (RESCO) मोड में किया जाना है।

4. RESCO Mode में सौर ऊर्जा संयत्रों के अधिष्ठापन हेतु लागत राशि के व्यय का वहन सोलर पावर डेवलपर द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ स्थापित संयत्र का रख–रखाव एवं संचालन पूर्णतः डेवलपर के द्वारा अनुबंध अवधि (25 वर्षों) तक किये जाने का प्रावधान रहता है। सरकारी विभागों के द्वारा डेवलपर के साथ Power Purchase Agreement (PPA) के आधार पर एक निश्चित टैरिफ पर उत्पादित सौर ऊर्जा खरीदती

D:\B. J\F.Y.-2026\Energy Deptt(Allotments & Others)\Sankalp

है, जो समान्यतः डिस्कॉम के टैरिफ से कम होती है। इससे सरकारी विभागों के बिजली पर होने वाली व्यय में प्रत्यक्ष रूप से कमी आती है।

5. सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के फलस्वरूप बिजली खपत हेतु जहाँ एक तरफ परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता में कमी आएगी वही दूसरी तरफ अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा को ग्रिड में भेजा जा सकेगा। इस तरह से सरकारी भवनों के विद्युत विपत्र में भी काफी कमी आयेगी।

6. राज्य में सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा तत्संबंधी जल–जीवन– हरियाली अभियान के तहत नवीकरणीय और गैर पारम्परिक ऊर्जा प्रणाली ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उत्थान के लिए बहुआयामी तथा विशेषकर लाभदायक सिद्ध होंगे।

8. अतएव जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक राज्य के सरकारी/सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का Renewable Energy Services Company (RESCO) मोड में अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं संबंधित विभागों द्वारा RESCO डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु Power Purchase Agreement (PPA) किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

7. मंत्रिपरिषद की दिनांक–08.07.2026 को हुई बैठक में उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अजय यादव)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/ऊर्जा/ब्रेडा–01/2026– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/ऊर्जा/ब्रेडा–01/2026– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(ले0 एवं हक), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

D:\B. J\F.Y.-2026\Energy Deptt(Allotments & Others)\Sankalp

ज्ञापांक–प्र० / ऊर्जा / ब्रेडा–01 / 2026– 3844 / पटना, दिनांक– 14.07.2026

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना / निदेशक, ब्रेडा, विद्युत भवन–II, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।